

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 689/2016

Smt. Meena Kanwar

----Appellant

Versus

Shanti Lal Meena And Ors.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Digvijay Singh

For Respondent(s) : Mr. Jasraj Singh

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

01/08/2025

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई 35 दिन की देरी को क्षमा किया जाता है।

पक्षकारान के मध्य समझाईश से प्रकरण के निस्तारण होने की संभावना को देखते हुए प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दोनों पक्ष मध्यस्थता केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष दिनांक 14.08.2025 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट के साथ पत्रावली न्यायालय में नियमानुसार सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

68-mayank/-